न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 02/2017

बउनवान

सरकार जर्ये शिवजीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक, (अंता/बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री सुरेन्द्र नागर पुत्र श्री घनश्याम नागर अंता, प्रो.मै. धाकड़ मिष्ठान भण्डार, मांगरोल रोड़अंता, (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :— 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री ललित नागर अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 06.01.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.03.2017 को कस्बे में घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, अंता श्री मनोज कुमार मीणा के साथ कस्बे में निरीक्षण के दौरान मै. धाकड़ मिष्ठान भण्डार मांगरोल रोड़, अन्ता पर पहुंचे। मिष्ठान भण्डार की जांच में उसके व्यावसायिक परिसर में दो घरेलू गैस सिलेण्डर BPCL कम्पनी के पाये गये। जिनमें एक प्लास्टिक पाईप के जरिये भट्टी से जुड़ा हुआ था। तथा एक गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ वहां रखा हुआ था। इस प्रकार उक्त दोनों 14.2 किग्रा. के घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में पाये गये। इस बाबत मिष्ठान भण्डार पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र नागर से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये।

अवैध रूप से घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाये जाने पर उक्त सिलेण्डरों को जिनमें तोलने पर उपरोक्तानुसार भरी हुई गैस को मय दो गैस सिलेण्डर व एक भट्टी चूल्हे, एक प्लास्टिक पाईप मय रेग्युलेटर के जब्त सरकार कर रूबरू मोतबिरान श्री इन्द्रराज गोस्वामी पुत्र श्री भंवरलाल गोस्वामी प्रतिनिधि मै. गैस सर्विस अंता जिला बारां की सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा दो गैस सिलेण्डरों को मय 2.6 किग्रा. गैस एवं एक भट्टी चूल्हे, एक प्लास्टिक पाईप मय रेगुलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज•)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:39 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस [illegible] की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुआ। जवाब अप्रार्थी हेतु पर्याप्त समय [illegible] भी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर प्रकरण में अंतिम बहस [illegible] अत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी।

न्यायालय जिला कलेक्टर

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः 2.6 किग्रा. भरी हुई गैस को मय उपरोक्त दो सिलेण्डर, एक प्लास्टिक पाईप मय रेग्युलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी के परिवार के खाली दो गैस सिलेण्डरों को भरवाने हेतु दुकान पर लाकर रख लिये थे। इतने में प्रार्थी ने अप्रार्थी की दुकान पर पहुंचकर इन दोनों गैस सिलेण्डरों को जब्त कर लिया। अप्रार्थी व्यावसायिक गैस कनेक्शन से ही अपनी दुकान पर मिठाईयों का निर्माण करता है। अप्रार्थी ने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी की दुकान से जब्त किये गये गैस सिलेण्डर एवं भट्टी को अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने बहस के दौरान जप्तशुदा भट्टी के बाबत कोई कथन नहीं किया। जिस वक्त प्रार्थी ने उक्त सामग्री जब्त की उस समय एक गैस सिलेण्डर प्लास्टिक पाईप के जरिये भट्टी से जुड़ा हुआ था। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा BPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 358674, (2) 143197 का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि 2 गैस सिलेण्डरों की कुल 5000/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को वापस लौटाये जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एंव प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर्स को संचालक अन्ता गैस सर्विस अन्ता को कीमत पर दिया जावें तथा जप्तशुदा एक भट्टी चूल्हे, एक प्लास्टिक पाईप मय रेग्युलेटर जो मशीन से जुड़े हुए हैं, को खुली नीलामी [illegible] उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को लिखवाया [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)